# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

मु.नं.:— 49 / 2025

तारीख रजू :— 17.06.2025

पीठासीन अधिकारी :— श्री अमन चौधरी आर.ए.एस.

उनवान

मोहरसिंह पुत्र रामस्वरूप उम्र 75 वर्ष जाति मीना निवासी शेखपुरा तहसील बालघाट जिला करौली राज0

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0)

अप्रार्थीगण

***प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा***

उपस्थित :— 1 अभिभाषक प्रार्थी :— श्री सुरेश चन्द्र शर्मा एडवोकेट

2 अभिभाषक अप्रार्थी की ओर — पैरौकार सरकार

**निर्णय** दिनांकः— 23.03.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम शेखपुरा तहसील बालघाट जिला करौली राज0 के खसरा नम्बर 339 रकबा 1.29 है0, 340 रकबा 0.01 है0, 349 रकबा 0.07 है0 350 रकवा 0.02 है0, 351 रकबा 0.06 है0 उक्त आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 1246 / 1 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा से बनाकर भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारियों द्वारा दौराने भू–प्रबंध दर्शाकर अंकित कर दिये है, जबकि साबिक खसरा नम्बर 1246 / 1 का रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा था जो जमाबंदी सम्वत 2034–2037 में अंकित है। उक्त नम्बर में से 03 बीघा भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 579 दिनांक 21 / 02 / 1983 को आबादी में सपरिवर्तित हो गयी। साबिक आराजी खसरा नम्बर 1719 / 1 रकबा 77 बीघा 05 बिस्वा चारागाह भूमि ग्राम शेखपुरा तहसील बालघाट जिला करौली राज0 में स्थित थी, जो जमाबंदी सम्वत 2030–2033 से भली प्रकार साबित है। उक्त आरजी में जरिये नामान्तकरण संख्या 205 दिनांक 27 / 12 / 1974 को 02 बीघा 03 बिस्वा व नामान्तकरण संख्या 444 दिनांक 31 / 01 / 1977 को 01 बीघा 11 बिस्वा भूमि आबादी में सपरिवर्तित हो गयी तथा उक्त आराजी में शेष भूमि 1719 / 1 रकबा 73 बीघा 09 बिस्वा भूमि रही जो जमाबंदी सम्वत 2034–2037 में भली प्रकार अंकन है उक्त आराजी मे से 08 बीघा भूमि जिला

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

कलेक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश से आबादी में दिनांक 13.01.1984 को सपरिवर्तित नही हो पाया है। साबिक खसरा नम्बर 1719/1 में सायल व उसके पिता रामस्वरूप पुत्र काडया का बाडा व पाटौर पोश 03 गह दुपल्ला चढी हुई थी जो खसरा गिरदावरी सम्वत 2040–2041 2042 में भली प्रकार अंकन है। उसके बाद गिरदावरी सम्वत 2043 में उक्त साबिक खसरा नम्बर 1719/1 दर्शाया है जो सपरिवर्तित भूमि है। इस प्रकार पूर्णतः साबित है। सायल व सायल के पिता साबिक खसरा नम्बर 1719/1 पर सम्वत 2040 से पूर्व से ही काबिज थे तथा बाडा व पाटोर पोश बनाकर रिहायश कर उसका उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे थे जिसे समय–समय पर कब्जे व रिहायश के अनुसार आबादी भूमि में परिवर्तन कर दिया है।

सैटिलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा दौराने सैटिलमेन्ट साबिक ट्रेस के अनुसार नवीन ट्रेस कायम नहीं करके सायल के साबिक खसरा नम्बर 1719/1 पर कब्जे के स्थान को आबादी में नहीं दर्शा कर खसरा नम्बर 339 में दर्शा दिया है जो एकदम गलत दर्शाया है सायल व उसके पिता सैटिलमेन्अ से पूर्व से ही खसरा नम्बर 1719/1 व 1719/1/1 पर काबिज एवं दखील है तथा जिस स्थान पर सायल सैटिलमेन्अ पूर्व काबिज एवं दखील थे उसी स्थान पर काबिज है। गांव के कुछ असामाजिक तत्व जो सायल से रंजिश रखते है। सैटिलमेन्अ द्वारा साबिक रिकार्ड से भिन्न नवीन रिकार्ड ट्रेस बनाने का वेजा फायदा उठाकर गैरसायलान नम्बर 01 को शिकायत करते रहते है तथा गैरसायलान नम्बर 01 भी बिना रिकार्ड का अवलोकन किये अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से सायल के खिलाफ भिन्न सम्वतों में भिन्न–भिन्न रकबा दर्शाकर बेदखली कार्यवाही करवाते रहते है, जबकि सायल का निर्माण 50 सौ साल से तथा उक्त निर्माण को तत्कालीन कलैक्टर महोदय द्वारा समय–समय पर आबादी भी कर दिया है।

सायल को गैरसायलान नम्बर 01 के यहां से अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट का नोटिस आने पर सायल गैरसायलान नम्बर 01 से मिला तथा समस्त रिकार्ड बताकर निवेदन किया कि मैं तो पिता के समय से ही काबिज हूँ तथा उक्त भूमि आबादी में दर्शायी थी आप रिकार्ड का अवलोकर करवाले तो उन्होंने आश्वस्त किया कि अब आप पैनल्टी जमा करादे आगे कोई

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

कार्यवाही नही होगी इससे सायल को आश्वस्त हो गया लेकिन अचानक जानकारी मिली कि प्रशासन सायल की रिहायश को ध्वस्त करने आ रहा है तो सायल दिनांक 02.06.2025 को गैरसायलान स समस्त रेवन्यु रिकार्ड लेकर मिला तथा उनसे कार्यवाही न करने तथा रिकार्ड दुरूस्त करने से मना कर दिया तथा कहा कि तुम न्यायालय से दुरूस्त करालों नही तो हम तो नये रिकार्ड के अनुसार व ऊपर आये आदेशो के अनुसार कार्यवाही करेंगे इस प्रकार गैरसायलान अपनी गैरकानूनी कुचेष्ठा में कामयाब हो गये सायल की रिहायश जो आबादी भूमि में निर्मित है ध्वस्त कर दिया तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार द्रव्य में संभव नही हो सकेगी।

प्राईमा फेसी केश सायल के पक्ष में है। सुविध का सन्तुलन सायल के पक्ष में है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायल को कोई क्षति नहीं है। जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को ताफैसला दावा इस अम्र स पाबन्द फरमाया जावे िकवे सायल के कब्जे रिहायशी साबिक नम्बर के अनुसार रेवन्यु रिकार्ड के मुताबिक दुरूस्त नही होने तक सायल की कब्जे रिहायशी जो गलत तरीके से खसरा नम्बर 339 ग्राम शेखपुरा तहसील बालघाट जिला करौली दर्श दिया ह बेदखल नहीं करें मकानियत को ध्वस्त नहीं करें। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वय करें ना किसी अन्य से करावे जिससे हकूक सायल पर प्रतिकूल प्रभाव पडे, मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जरिये तलब किया गया। प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। उनका जबाब इस प्रकार है कि मुताबिक हाल जमाबंदी ग्राम शेखपुरा के आराजी ख0न0 339 / 1.29 / 0.01, 349 / 0.07, 350 / 0.02, 352 / 0.06 है0 भूमि किस्म चारागाह दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बरान का मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साविक खसरा नंबर 1246 / 1 मि. रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा दर्ज है। साबिक जमांबदी संवत 2034–2037 में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

साबिक ख0न0 1246 / 1 का कुल रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा दर्ज है। जिसमें से उक्त जमाबंदी संवत में साविक खसरा 1246 / 1 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा में से नामा0 सं. 579 दिनांक 21.02.1983 के जरिये 3 बीघा हुई आबादी का नोट अंकित है जबकि उक्त हुई 3 बीघा आबादी का कोई नवीन खसरा नंबर अंकित नहीं है। उक्त नामा. 579 (सेटलमेंट) का अंकन साबिक अजाबंदी संवत 2034–203 व 2038 से 2041 में नोट अंकित है।

जमाबंदी संवत 2030–2033 में साबिक खसरा नं. 171 / 1 रकबा 77 बीघा 5 बिस्वा किस्म चारागाह दर्ज है। नामा. संख्या 205 दिनांक 27.12.1974 से साविक ख.न. 1719 / 1 चारागाह भूमि में से 2 बीघा 6 बिस्वा आबादी भूमि दर्ज हुई थी तथा नामा. सं. 444 दिनांक 31.01.1977 से साबिक ख. नं. 1719 / 1 चारागाह भूमि में से 1 बीघा 11 बिस्वा भुमि गै.मु. आबादी दर्ज हुई है। साबिक जमाबंदी संवत 2034–2037 में साबिक खसरा नं. 1719 / 1 किस्म चारागाह का रकबा 1719 / 1 चारागाह का रकबा 73 बीघा 9 बिस्वा दर्ज है।

जमाबंदी संवत 2038–2041 के मुताबिक साबिक साबिक खसरा नं. 1719 / 1 रकबा 73 बीघा 9 बिस्वा चारागाह भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नं. में से नामा. सं. 599 दिनांक 29.02.1984 द्वारा 8 बीघा गै0मु0 आबादी में परिवर्तित की गई है। व नामा. सं. 615 दिनांक 13.12.1984 द्वारा खसरा नं. 1719 / 1 / 3 रकबा 6 बीघा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेखपुरा के नाम आवंटित हुई थी। तदनानुसार सेंटलमेंट खतौनी के अनुसार उक्त 73 बीघा 9 बिस्वा भूमि में से उक्त दोनो भूमि आवंटित की गई है। जो कि आवंटित 14 बीघा भूमि को कम किया जाकर मुताबिक सेटलमेंट खतौनी साबिक ख.न. 1719 / 1 / 1 रकबा 59 बीघा 9 बिस्वा चारागाह भूमि शेष रही है। उक्त आबादी में आवंटित हुये 8 बीघा रकबे का साविक ख.न. 1719 / 1 / 4 है। मुताबिक सेटलमेंट खतौनी व मिलान क्षेत्रफल जिसके हाल ख. नं. 737 / 0.05, 738 / 0.05, 762 / 2797 / 0.04, 763 / 2796 / 0.04, 764 / 2795 / 0.04, 765 / 2794 / 0.05, 1919 / 2850 / 0.20, 1920 / 2849 / 0.35, 1921 / 2828 / 1.09, 745 / 0.04, 746 / 0.06 किता 11 रकबा 2.01 है0 है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

परिवादी मोहरसिंह मीना निवासी शेखपुरा के साविक ख.नं. 1719/1 में निवास कर रहना बताया है जिसके संबध में परिवादी द्वारा गिरदावरी की नकल की फोटो प्रति बताते हुए 1 दस्तावेज उपलब्ध करवाया गया है। इस संबंध में निवेदन है कि आज दिनांक को परिवादी मोहरसिंह मीना का निवास गैत बाडा, चारदीवारी, पाटोर पोश इत्यादि हाल ख.न. 336 (निजी सह खातेदारी), 339 (चारागाह) एवं खसरा नं. 2984/1924 (गै.मु. आबादी) में स्थित है। परिवादी द्वारा उपलब्ध करवाया गया दस्तावेज प्रमाणित गिरदावरी न होकर संवत 2040, 2041, 2042, 2043 में किये गये अतिक्रमण का खसरा परिवर्तनशील की नकल की फोटो प्रति है। जिसमें तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा बाडा, कब्जा, पाटोरपोश इत्यादि की रिपोर्ट दर्शायी गई है। वादी द्वारा उपलब्ध करवाये गये संवत 2043 के खसरा परिवर्तनशील की फोटो प्रति में साविक ख.न. 1719/1/1 व 1246/ 1 मि. में वादी के पिताजी द्वारा बाडा, बगीची, कब्जा, कोठी, शिवालय आदि का अतिक्रमण दर्ज है।

वादी द्वारा ग्राम शेखपुरा के हाल चारागाह ख.न 339 को सेटलमेंट पूर्व के राजस्व रिकार्ड में आबादी होना बताया गया है। जबकि उक्त हाल ख.न0 339 का मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साविक ख0न0 1246/1 मि. है। जो पूर्व में भी गै.मु. आबादी न होकर के चारागाह भूमि दर्ज रिकार्ड है।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम शेखपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के खाता संख्या 544 में वर्णित खसरा नम्बरान अप्रार्थी/राज्य सरकार के नाम खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। हाल खसरा नम्बर 339 का मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 1246/1 मिन है जो कि पूर्व में भी गै0मु0 आबादी न होकर चारागाह भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा स्वंय के पक्ष में

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

वांछित साक्ष्य, दस्तावेज पेश नहीं किये जो उसके पक्ष में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण को साबित करते है। अतः अप्रार्थी/सरकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रथम दृष्ट्या नहीं दी जा सकती है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे साबित नहीं होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है।

3. **अपूर्तनीय क्षतिः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे अप्रार्थी को पाबन्द करना अप्रार्थी को क्षति होने की संभावना कारित करता है। अस्थाई निषेधाज्ञा से अपूरणीय क्षति होने की संभावना है।

**आदेश**

अतः पत्रावली मे वर्णित ग्राम शेखपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के खाता संख्या 544 में वर्णित खसरा नम्बरान अप्रार्थी/राज्य सरकार खातेदार काश्तकार है। हाल खसरा नम्बर 339 का मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 1246/1 मिन है जो कि पूर्व में भी गै0मु0 आबादी न होकर चारागाह भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा स्वंय के पक्ष में वांछित साक्ष्य, दस्तावेज पेश नहीं किये जो उसके पक्ष में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण को साबित करते है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(अमन चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली